श्री बालामुरूगन डी०,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 19-11-2011 को रतनी अंचल का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

1. **भौगोलिक स्थिति** :- रतनी फरीदपुर अंचल का सृजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 2561/रा0, दिनांक 25.06.1995 एवं ज्ञापांक 340/रा0, दिनांक 25.06.1998 द्वारा किया गया है, जो दिनांक 22.12.1999 में कुर्था अंचल से विभक्त होकर रतनी फरीदपुर में कार्यरत है तथा यह जहानाबाद जिला के अंतर्गत है। जहानाबाद से इस कार्यालय की दूरी लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जहानाबाद कुर्था भाया शकुराबाद पथ पर अवस्थित है, वर्तमान में अंचल कार्यालय का कोई भवन नहीं है। यह संसाधन-सह-प्रशिक्षण भवन, रतनी फरीदपुर में कार्यरत है। इस अंचल के अंतर्गत सात हल्का एवं चौदह पंचायत है, जिसमें कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 96 है। कुल वो चिरागी ग्राम-09 है। एकड़ कुल असिंचित भूमि 8779.42 एकड़। यहाँ का मुख्य फसल धान एवं गेहूँ है। वर्ष 2001 के अनुसार इस अंचल की कुल जनसंख्या 1226403 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 63287 तथा महिलाओं की संख्या 59356 है।

2. **पदस्थापित अंचल अधिकारियों का कार्यकाल** :-

क्र०	अंचल अधिकारी का नाम	कार्यकाल
1	श्री चंदन कुमार मंडल	22.12.1999-28.02.2004
2	मो0 एनामुल हक	29.02.2004-30.05.2007
3	श्री भरत भूषण प्रसाद	01.06.2007-11.02.2008
4	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	12.02.2008-04.04.2010
5	श्रीधर पाण्डेय	05.04.2010-15.08.2011
6	श्री उपेन्द्र पंडित	16.08.2011-22.10.2011
7	श्रीधर पाण्डेय	23.10.2011 से अब तक

3. **पूर्व निरीक्षण** :-

क्र.	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की ति
1	श्री हुकुम सिंह मीणा,भा.प्र.से. ,जिलाधिकारी, ज'बाद।	29.03.2001	17.08.2001	12.12.2002
2	श्री अनवर आलम मंजर,भा.प्र.से. ,जिलाधिकारी,ज'बाद	22.06.2005	07.07.2005	62(मु0)/ 16.08.20
3	श्री शंकर राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद	21.04.2005	25.05.2005	15.06.2005
4	श्री शंकर राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद	13.07.2005	27.07.2005	428/25.08.2005
5	श्री शंकर राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद	30.08.2005	12.09.2005	34/13.01.2006
6	श्री शंकर राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद	19.02.2007	09.03.2007	168/23.03.2007
7	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद	22.03.2001	05.07.2001	26(मु0)/ 08.08.20
8	मो0 अखलाल अहमद, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।	15.06.2005	17.07.2005	394/10.08.2005

9	श्री अजय कुमार झा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद।	21.06.2005	20.07.2005	431/ 27.08.2005
10	अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर	30.05.2005	20.08.2005	427/25.08.2005
11	श्री कपिल दास, कार्यपालक अधीक्षक, जहानाबाद	23.01.2001	08.07.2003	395/10.08.2005
12	श्री रामाश्रय शर्मा, कार्यपालक अधीक्षक, जहानाबाद	21.08.2006		449/27.06.2007
13	श्री मुसहरी राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद	12.03.2008		12.03.2008
14	श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।	10.03.2008	10.03.2008	
15	श्रीमती पलका साहनी,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद।	14.01.2010	21.01.2010	33(मु0)/27.05.20

4. **स्थापना :** अंचल रतनी फरीदपुर में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित हैं।

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	अंचलाधिकारी	01	01	0	
2	अंचल निरीक्षक	01	0	01	राजस्व कर्मचारी प्रभार में।
3	प्रधान सहायक	01	0	01	प्रभारी प्रधान सहायक के रू में।
4	सहायक	04	03	01	
5	राजस्व कर्मचारी	07	05	02	
6	अमीन	01	0	01	
7	अनुसेवक	02	02	0	
8	चालक	01	01	0	
	कुल :	**18**	**12**	**06**	

5. **विभिन्न पंजी :-**

1. **भविष्य निधि पास बुक :** कुल पदस्थापित कर्मचारियों में से कार्यालय में 4 भ0नि0 पास ब उपलब्ध है। उपलब्ध पास बुक में माह सितम्बर, 2011 तक प्रविष्टि कर दी गयी है।
2. **उपस्थिति पंजी :-** उपस्थिति पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है।
3. **आवंटन पंजी :-** आवंटन पंजी शीर्षवार अलग-अलग संधारित है। जिसमें प्राप्त आवंटन एवं व से संबंधित अद्यतन विवरणी अंकित किया गया है।
4. **विपत्र पंजी :-** विपत्र पंजी विहित प्रपत्र में संधारित एवं अद्यतन है।
5. **मांग पंजी :-** मांग पंजी अंचल कार्यालय में संधारित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उन्हें श्री शंतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रभार में न दिया गया है। श्री शंतु कुमार राम, अंचल निरीक्षक, टिकारी, गया-सह-तत्कालीन अंचल निरीक्ष

रतनी फरीदपुर को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपना प्रभार अंचल निरीक्षक, रतनी ब देना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी, गया से अनुरोध है कि श्री शंतु कुमार राम, अंचल निरीक्षक, टिकार गया-सह-तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपुर के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से प्रभ पूर्णत: सौपने तक रोक लगाने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन : जिला पदाधिकारी, गया/ श्री शंतु कुमार, अंचल निरीक्षक, टिकारी, गया-सह-तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद)

6. **मैसेंजर पंजी** : विहित प्रपत्र में संधारित है।
7. **कर्म-पुस्तिका** : कर्म-पुस्तिका सभी कर्मचारियों का अलग-अलग संधारित है, परन्तु वह विहि प्रपत्र में संधारित नहीं है और न ही अद्यतन है। जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदे: दिया कर्म-पुस्तिका संधारण के लिए विहित-प्रपत्र में प्रिंट कराकर सभी कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्री सुजीत प्रसाद कर्मी के कर्म-पुस्तिका में माह नवम्बर, 2011 में मात्र 4 पत्र प्राप्त किय गया है, जिसका निष्पादन किया गया है अथवा नहीं, अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार श्र संजय कुमार कर्मी के कर्म-पुस्तिका के पेजों का सत्यापन तक अंचलाधिकारी द्वारा नहीं किय गया है। संजय कुमार, सहायक के कर्म-पुस्तिका संधारित ही नहीं है। जबकि पूर्व के निरीक्षण र जिला पदाधिकारी के द्वारा कर्म-पुस्तिका का संधारण करने के लिए चेतावनी तक दी गई है इसके बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि श्री संजय कुमार सहायक के द्वारा मनमानेपन ढंग से कार्य किया जा रहा है। अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर क निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए मंतव्य के साथ प्रतिवेद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं इनके विरूद्ध प्रपत्र-क गठित कर कार्रवाई क जाय। साथ ही एक सप्ताह के अंदर कर्म-पुस्तिका संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

श्री सतीश कुमार, कर्मी का भी कर्म-पुस्तिका संधारित नहीं है। यह स्थिति अत्यंत ह आपत्तिजनक एवं खेदजनक है कि कर्मियों का कर्म-पुस्तिका नहीं संधारित किया गया है अंचलाधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें यह स्थिति क्यों उत्पन्न है तथा आपके स्तर से इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। साथ ही निदेश दिया जाता है वि अविलम्ब सभी कर्मियों की कर्म-पुस्तिका संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

8. **वाहन का लॉग बुक** : वाहन का लॉग बुक एक भौलूम में संधारित है।
9. **कार्य तालिका** : बिहार बोर्ड प्रकीण नियमावली के नियम 115 के अनुसार सभी सहायकों के लिए कार्य तालिका संधारित है।
10. **पदाधिकारी/ प्रधान लिपिक की सूची** :- बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 114 के अनुसार पदाधिकारी की सूची संधारित है एवं प्रधान सहायक की सूची हेतु कार्रवाई की जा रही है।

11. **रक्षी संचिका** : रक्षी संचिका अंचल में संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आदेशों को रक्षी संचिका में संधारित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त होने वाले विभिनन पत्रों को रक्षी संचिका में संधारित नहीं किया जा रहा है। अंचलाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि रक्षी संचिका को अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे।

12. **विधायी प्रश्नों से संबंधित पंजी** : विधायी प्रश्नों से संबंधित पंजी संधारित है।

13. **जन शिकायत पंजी** : संधारित है।

14. **निरीक्षी पंजी** : निरीक्षी पंजी कार्यालय में विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है।

15. **लोक भूमि पंजी** : संधारित है।

16. **सूचना के अधिकार पंजी** : सूचना के अधिकार के तहत पंजी संधारित है।

6. **सेवापुस्त** : सेवापुस्त पंजी संधारित है एवं सभी कर्मियों का सेवापुस्त दिनांक 31.10.2011 तक सत्यापित है।

7. **सामान्य भविष्य निधि पासबुक** : भविष्य निधि पासबुक कर्मियों का संधारित है तथा दिनांक 30.09.2011 तक सत्यापित है।

8. **अनुक्रमणी पंजी** : अनुक्रमणी पंजी संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। इसमें इस वर्ष में कोई भी नई संचिका नहीं खोली गई है। उदाहरण के तौर पर लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के लिए संचिका संधारित की गई है, परन्तु उसका संचिका संख्या नहीं दिया गया है। यह अत्यंत ही गम्भीर मामला है तथा कार्यालय प्रबंधन सही नहीं होने का प्रमाण भी है। अंचलाधिकारी, रतनी अविलम्ब इसे अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

9. **भूमि प्रमाण-पत्र** :- इस वर्ष 2011 में कुल 889 आवेदन प्राप्त हुये हैं। भूमि प्रमाण-पत्र पंजी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 15.11.2011 के तिथि में निर्गत भूमि प्रमाण-पत्र के कॉलम के सामने में अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया गया है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम सेवा केन्द्र में प्राप्त भूमि प्रमाण-पत्र का 40 आवेदन लम्बित पाया गया। यह स्थिति अत्यंत ही गम्भीर है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इन सभी आवेदनों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

10. **महादलित** : इस अंचल में 938 परिवारों को गैर-मजरूआ आम एक मालिक जमीन से आच्छादित होना है, जिसमें 473 महादलित को गैर-मजरूआ मालिक भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। 55 परिवारों को भूमि बांटा गया है। शेष प्रस्तावित है।

11. **वासगीत पर्चा** : पंजी संधारित है, परन्तु अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि इससे संबंधित एक भी मामला अंचल में नहीं है। जबकि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में बराबर वासगीत पर्चा से संबंधित मामला आता रहा है। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि वासगीत पर्चा हेतु कोई मामला इस अंचल में नहीं है। अत: इस संबंध में अंचलाधिकारी सभी राजस्व कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं यह प्रमाण-पत्र भी लें कि उनके हल्का में अब एक भी वासगीत पर्चा का मामला लम्बित नहीं है। **(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)**

सम्पर्क सड़क हेतु 03 (तीन) प्रस्ताव भेजा गया है।

स्टॉक पंजी :- अंचल कार्यालय में स्टॉक पंजी संधारित नहीं है। अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब स्टॉक पंजी संधारित कर उसमें अंचल कार्यालय के सभी उपस्करों को अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

14. **बेदखली पंजी :-** बेदखली पंजी एक अदद में संधारित है। अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक भी बेदखली का मामला इस अंचल में नहीं है। पंजी के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह पंजी वर्ष 2007-08 में खोला गया है तथा जिला पदाधिकारी के पास जनता दरबार में कई मामले इस अंचल के बेदखली संबंधी प्राप्त हुये हैं, इसके बावजूद भी अंचलाधिकारी के द्वारा यह कहना कि इस अंचल में कोई बेदखली का मामला नहीं है, स्वीकार्ययोग्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

15. **साप्ताहिक बैठक पंजी :-** साप्ताहिक बैठक पंजी एक अदद में संधारित है एवं दिनांक 15.11.2011 तक बैठक की कार्रवाई संधारित है। परन्तु पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 08.11.2011 की बैठक टिप्पणी में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 27.10.2011 की बैठक में भी कोई आदेश नहीं अंकित किया गया है। इसमें केवल एक कर्मी का हस्ताक्षर है, जिससे स्पष्ट है कि उस दिन अन्य कोई कर्मी बैठक में उपस्थित नहीं थे। दिनांक 13.10.2011, 20.10.2011, 08.11.2011 को बैठक हुए हैं, परन्तु दिनांक 08.11.2011 की बैठक में केवल हस्ताक्षर अंकित है, उसमे कोई आदेश अंकित नहीं है। दिनांक 27.10.2011 की बैठक में अंचलाधिकारी मौजूद नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि साप्ताहिक बैठक केवल खानापूर्ति के लिए की जाती है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से स्वयं उपस्थित रहकर बैठक आयोजित करेंगे तथा बैठक की कार्यवाह भी निर्गत करेंगे। प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पर्यवेक्षण ए अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रखण्ड के वरीय प्रभारी/अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

16. **आकस्मिक अवकाश पंजी :-** आकस्मिक अवकाश पंजी एक अदद में संधारित है।

2011	470	13	1845	10

प्राप्त पत्रों एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित एवं अद्यतन है, परन्तु उसमें संचिका संख्या अंकित नहीं किया जा रहा है। अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि प्राप्त एवं निर्गत पंजी में निश्चित रूप से संचिका संख्या अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

18. **राजस्व वसूली :-**

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	प्रतिशत
2004-05	1031200.63	327236.36	31.7
2005-06	970445.42	512887.01	52.36
2006-07	734455.10	51626.35	70.26
2007-08	492010.78	334642.45	80
2008-09	576889.54	517338.35	89.67
2009-10	660087.34	582369.50	88.22
2010-11	380379.22	284773.50	75

उपरोक्त सूची के अनुसार वर्ष 2004-05 में कुल मांग 1031200.63 था, जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में इसे घटाकर 380379.22 कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए कितना मांग है, यह अंचलाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख रूपये की वसूली कर ली गई है। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के कुल मांग के अनुसार वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

19. **दाखिल खारिज :-** दाखिल खारिज पंजी संधारित है। दाखिल खारिज हेतु राजस्व शिविर का आयोजन किया गया है, प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

गत माह तक प्राप्त आवेदन	प्रतिवेदित माह में प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	शेष लम्बित
1106	122	1228	805	362	1167	61

दाखिल खारिज पंजी का निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि इसमें कुल 1307 मामला दर्ज है, परन्तु केश रिकार्ड में मात्र 1277 ही दर्ज है, इसके अनुसार 30 मामलों का अंतर पाया गया। यह स्थिति अत्यंत ही गम्भीर है। आवेदन पंजी में कई मामलों में केश नम्बर तो दर्ज है, परन्तु उस मामले में न तो आवेदक का नाम और न ही उससे संबंधित यह जानकारी ही अंकित किया गया है यथा क्रमांक 1061-1064 एवं 904-905 में नाम एवं अन्य कॉलम खाली पाया गया है। पंजी में तिथि एवं यूनिक आई.डी.नम्बर नहीं अंकित किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत ही लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी के द्वारा अपने कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा उनके द्वारा पंजियों का निरीक्षण समय-समय पर नहीं किया जाता है और न ही रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर ही किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर इस

पंजी को पूर्णतः अद्यतन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही इस पंजी में यूनिक आई. नम्बर को भी तिथिवार अंकित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपु

दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए जो रिकॉर्ड खोले गये हैं, उनमें अंचलाधिक का हस्ताक्षर नहीं किया हुआ पाया गया। दाखिल खारिज पंजी–7 में अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर है। क्रमांक 34 तक उनका हस्ताक्षर है, उसके बाद हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अभिलेख सं 337/11-12, दिनांक 07.9.2011 की स्वीकृति 07.10.2011 को प्रदान करने के बावजूद भी रंजीत कुमार के द्वारा डिमांड नहीं खोला गया है। इसी प्रकार अभिलेख संख्या 837/11-12 अभिलेख संख्या 565/11-12 में अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने शुद्धि पत्र निर्गत होने के बावजूद भी श्री रंजीत कुमार, राजस्व कर्मचारी,कसवाँ के द्वारा डिमांड खोला गया है। यह अत्यंत ही गम्भीर मामला है। अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया कि श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग कर अपने तथ्यभारीत मंतव्य के साथ प्रतिवेदन एक सप्ताह अंदर प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीद

20. भूमि हदबंदी :-

31-03-2008 तक अर्जित अधिशेष भूमि का रकवा	01-04-2008 के बाद अर्जित रकवा	कुल	31-03-2008 तक का वितरण		01-04-2008 के बाद वितरण		कुल	
			संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रव
7.08 एकड़	शून्य	7.08 एकड़	09	7.08	0	0	09	7.(

21. श्रेणीवार वितरण :-

अनु०जाति		अनु०ज०जाति		पिछड़ा वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		अन्य		कुल	
संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	र
09	7.08	0	0	0	0	0	0	0	0	09	7.

22. भू-दान भूमि का विवरण :-

कुल प्राप्त रकवा	अनु. जाति		पिछड़ी जाति		अन्य		कुल	
	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रक
98.10 एकड़	03	2.02	01	1.02	01	1	05	4.(

नोट :- अवितरित शेष भूमि 94.06 एकड़ है, जो भू-दान यज्ञ कार्यालय स्तर पर लम्बित है।

23. गैर मजरूआ आम :-

कुल उपलब्ध भूमि का रकवा	बंदोबस्त भूमि का रकवा	अवशेष भूमि का रक
1319.28	0	1319.28

गैर मजरूआ आम से संबंधित कोई पंजी अंचल में संधारित नहीं है। अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि गैर मजरूआ आम की कोई सूची अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसकी सूची कुर्था अंचल कार्यालय, अरवल से सम्पर्क स्थापित कर तैयार करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

24. गैर मजरूआ मालिक :-

कुल प्राप्त रकवा	वितरण योग्य भूमि का रकवा	अयोग्य भूमि का रकवा	31-03-2007 तक वितरित भूमि का रकवा	01-04-2007 से अब तक वितरित
812.07	519.10	292.97	516.82	0

25. श्रेणीवार वितरण :-

अनु.जाति		अनु.ज.जाति		सैनिक		पिछड़ा वर्ग		अन्य		कुल	
संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा
1075	469.08	0	0	0	0	46	47.73	0	0	1121	516.8

26. प्रश्रय प्राप्त रैयतों का वासगीत पर्चा :-

अनुसूचित जाति		अन्य	
संख्या	रकवा	संख्या	रकवा
10	0.26 डी.	0	0

27. अभिधारी खाता पुस्तिका :-

कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल चयनित ग्राम	प्रारूप प्रकाशित ग्राम	अग्रिम प्रकाशन
96	29	29	16

नोट : अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कुल 16 ग्रामों का चालू खतियान तैयार कर कम्प्यूटराईजेशन हेतु जिला राजस्व शाखा, जहानाबाद के पास भेजा गया है।

28. गृहविहीन व्यक्तियों का गृहस्थल (क्रयनीति) :-

कुल प्रस्ताव की संख्या	कुल रकवा	अनुमानित राशि	लाभान्वितों की संख्या
10	0.30 डी0	240000.00	10

29. अतिक्रमण :-

01-04-2011 को लंबित वाद	गत माह तक दायर वाद	प्रतिवेदित माह में दायर वाद	कुल दायर वाद	कुल निष्पादित वाद	लम्बित
0	05	0	05	04	01

अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि वे अपने अंचल के सभी सरका जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु कार्रवाई करें। खासकर नहर, पईन पर अतिक्रमण कर बनाये ग आवासों को खालीकराकर अतिक्रमणमुक्त करायें। सर्वप्रथम सभी स्थलों की सूची तैयार करें तत्पश्चा उसे अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु नियमानुसार नोटिस करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

... अंचल में कोई भी बंध पत्र नहीं है।

सांख्यिकी :- जिंसवार भूमि उपयोग विवरणी जिंसवार अगहनी द्रुत एवं भदई जिंसवार भेजा जा चुका है। कृषि गणना सारणी-1 जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है तथा सारणी -2 तैयार किया जा रहा है। अंचलाधिकारी के द्वारा Crop Cutting अंचल क्षेत्र में किया जाना है, उसके संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद से सम्पर्क स्थापित करें एवं धान कटनी के लिए निर्धारित हल्का में अपने स्तर से करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

32. **माननीय उच्च न्यायालय** :- संबंधित पंजी अद्यतन संधारित है।

33. **एकादष वित्त आयोग** :- वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में एकादश वित्त आयोग का कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुआ है।

34. **नीलाम-पत्र** :-

कुल वाद		निष्पादित वाद		लम्बित वाद	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
69	826111.53	05	75323.20	64	750888.33

35. **लोक सभा / विधान सभा प्रश्नोत्तरी** :-

कुल प्राप्त पत्र	निष्पादित	लम्बित
6	6	0

36. **मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग** :-

कुल प्राप्त पत्र	निष्पादित	लम्बित
09	07	02

37. **आयुक्त, जन शिकायत कोषांग** :-

कुल प्राप्त पत्र	निष्पादित	लम्बित
01	01	0

38. **जिला जन शिकायत कोषांग** :- जिला जन शिकायत कोषांग से कुल 45 आवेदन इस अंचल क प्राप्त हुये हैं, इनमें से कितने निष्पादित हुये हैं, इसका संधारण नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब इन सभी को निष्पादित करते हुए रजिस्टर ा अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग, मुख्यमंत्री जन शिकाय कोषांग, लोकायुक्त जन शिकायत कोषांग, आयुक्त जन शिकायत कोषांग एवं जिला जन शिकाय कोषांग के लिए अलग-अलग पंजी संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

39. **अंकेक्षण** :- लोक लेखा समिति सी.ए.जी. एवं वित अंकेक्षण का कोई भी मामला लम्बित नहीं है विदित हो कि रतनी फरीदपुर अंचल के सृजन के पश्चात इस अंचल का अंकेक्षण नहीं किया गर है।

40. **चौकीदार परेड** :- अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि चौकीदार परेड प्रत्येक रविवार क शकुराबाद थाना में ली जाती है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में एक बार चौकीदारों की पर अंचल कार्यालय में आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

न्यूनतम मजदूरी :- इस अंचल में न्यूनतम मजदूरी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं है।

2. **ईट भट्ठा** :- ईट भट्ठा की सूची बनाने का निदेश दिया गया था, परन्तु अब तक अंचलाधिकारी द्वारा इस सूची को पूर्ण नहीं किया गया है। इसे अविलम्ब तैयार करने का निदेश अंचलाधिकारी व दिया गया।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

43. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी जमीन में निर्मित मंदिरों की सूची सूचीबद्ध की गई थी तथा अ किसी भी सरकारी भूमि में मंदिर निर्माण नहीं किया जाना है, इसका अंचलाधिकारी पूर्णत अनुपाल सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

44. **कब्रिस्तान घेराबंदी** :- प्राय: जनता दरबार में कब्रिस्तान घेराबंदी में भूमि विवाद का मामला आ रहता है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी ए थानाध्यक्ष आपस में संयुक्त बैठक कर कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा करें तथा जिस-जिस कब्रिस्ता में भूमि विवाद की समस्या है, उसे निष्पादित करायें। साथ ही जो नये कब्रिस्तान की घेराबंदी करा जाना है, उसके भूमि विवाद की जॉच कर ही संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन जिला मुख्यालय व उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी/ अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ थानाध्यक्ष, शकुराबाद)

45. **ग्राम विकास शिविर** :- ग्राम विकास शिविर में अब तक कुल दाखिल खारिज एवं अन्य कार्यों व निष्पादित किये गये हैं, इसके लिए कोई पंजी का संधारण अंचल कार्यालय में नहीं किया गया है निदेश दिया गया कि अविलम्ब ग्राम विकास शिविर से संबंधित एक पंजी का संधारण कर सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक बुधवार को होने वाली ग्राम विकास शिविर में अंचल कार्यालय से संबंधि कार्यों को यथासंभव शिविर में ही निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उस तिथि को शिविर खासकर दाखिल-खारिज के आवेदन को प्राप्त कर अगले तिथि को निश्चित रूप से उसे रसि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शिविर में सभी राजस्व कर्मी एवं कर्मी की उपस्थिति सुनिश्च करायेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर

46. **खैरात** :

खैरातों की संख्या	बंदोबस्त	लम्बित
02	02	0

47. **निष्क्रांति सम्पति** :- सर्वेक्षण के क्रम में इस अंचल में निष्क्रांत समपति नहीं पाया गया है।

48. कर्मचारीवार राजस्व वसूली का ऑकड़ा वर्ष 2011-12 :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	मांग वर्ष 2011-12	अद्यतन वसूली	प्रतिशत
1	दयानन्द चौधरी	26891.25	19364.25	72
2	श्री मुखराम शर्मा	56588.25	42144.00	75
3	श्री श्यामबिहारी सिंह	61579.06	36242.70	59